कार्यालय : सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश,

23 एलनगंज, इलाहाबाद, पिन कोड : 211002

दूरभाष सं0 / फैक्स नं0:– 0532 2466761, 0532 2466769 Website: http:\\examregulatoryauthorityup.in

e-mail id : secretarypnp.up@gmail .com

डी0एल0एड0(बी0टी0सी0) / डी0पी0एस0ई0(एन0टी0टी0) सम्बद्धता 2017–18 आवेदन पत्र आमंत्रित हेतु

विज्ञप्ति

शासनादेश संख्या–1454 / 15–11–2014 शिक्षा अनुभाग–11 लखनऊ दिनांक 30 सितम्बर 2014 के निर्देशानुसार उत्तर प्रदेश के वे निजी संस्थान जिन्हें राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा शैक्षिक सत्र 2017–18 से दो वर्षीय **डी0एल0एड0 (बी0टी0सी0) / डी0पी0एस0ई0 (एन0टी0टी0) पाठ्यक्रम** हेतु मान्यता प्रदान की गयी है तथा जो राज्य सरकार से **सत्र 2017–18** में सम्बद्धता हेतु इच्छुक है वे –

1. वेबसाइट http://examregulatoryauthorityup.in से विवरणिका सहित आवेदन पत्र का प्रारूप डाउनलोड कर एवं आवेदन पत्र पूर्ण कर शासनादेश सं0–85 / 15–11–2010 दिनांक 18.01.2010 एवं संशोधित शासनादेश सं0 1454 / 15–11–2014 दिनांक 30.09.2014 में दिये गये निर्देशानुसार आवश्यक अभिलेखों सहित पूरित आवेदन पत्र सम्बन्धित जिले के जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान (डायट) को तीन प्रतियों में **दिनांक 15.04.2017 की सायं 5:00 बजे तक** निश्चित रूप से उपलब्ध करायें।
2. आवेदन पत्र के साथ प्रक्रिया शुल्क **रूपये 50000.00 (रूपये पचास हजार मात्र) तथा आवेदन शुल्क रूपये 1000.00 (रूपये एक हजार मात्र)** का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत बैंक ड्राफ्ट / बैंकर्स चेक जो सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पदनाम से देय होगा, को आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। उक्त हेतु शासनादेश, विवरणिका एवं आवेदन पत्र का प्रारूप वेबसाइट http://examregulatoryauthorityup.in पर उपलब्ध रहेगा।
3. इसी क्रम में एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त ऐसे निजी संस्थान जिनके द्वारा विगत वर्षो में सम्बद्धता हेतु आवेदन किया गया था किन्तु जिन्हें कतिपय कमियों के कारण सम्बद्धता प्रदान नहीं की गयी है तथा जो राज्य सरकार से **सत्र 2017–18** में सम्बद्धता हेतु इच्छुक है वे उक्त वेबसाइट के माध्यम से निर्देशानुसार आवेदन कर सकते हैं।
4. शैक्षिक सत्र 2017–18 हेतु जिन संस्थाओं को **एन0सी0टी0ई0 से मान्यता प्राप्त है वे निर्धारित तिथि 15.04.2017 तक आवेदन कर दें, उक्त तिथि के बाद कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं होंगे एवं** वांछित अभिलेखों सहित पूरित आवेदन पत्र समय से न प्रस्तुत किये जाने की स्थिति में उनके **सम्बद्धता पर विचार नहीं किया जायेगा।**

3.4.17

डॉ0 (श्रीमती एस0 सिंह)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

पृ0सं0: नि0शि0सं0 / सम्बद्धता 17–18 / / 2016–17 दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, बेसिक शिक्षा, शिक्षा अनुभाग–11, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. समस्त प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञप्ति में दिये गये निर्देशों के क्रम में नियमानुसार कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

डॉ0 (श्रीमती एस0 सिंह)
सचिव
परीक्षा नियामक प्राधिकारी
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।